

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

॥ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी ॥

शुक्रवार, 4 जुलाई, 1997 / आषाढ 13, 1919 ॥शक॥

संख्या : 335

सदस्य की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली का निम्नलिखित संदेश दिनांक 30.6.97 को प्राप्त हुआ :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री मतीन अहमद उनके समर्थकों सहित दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अन्तर्गत पुलिस थाना संसद मार्ग के विधिसम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिनांक 30.6.97 को अपराहन 2.05 बजे, पुलिस थाना संसद मार्ग, नई दिल्ली से नज़रबंद किया गया।

उन्हें उसी दिन अथात् दिनांक 30.6.97 को अपराहन 2.30 बजे, वहीं से रिहा कर दिया गया।"

पी. एन. गुप्ता

सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)

Friday, July 04, 1997/ Ashada 13, 1919 (Saka)

No.335

DETENTION AND RELEASE OF A MEMBER

The following message dated 30.6.97 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from the Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi:-

" I have the honour to inform you that Shri Matin Ahmed, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi alongwith his other supporters was detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of police from Parliament Street in front of Police Station Parliament Street, New Delhi on 30.6.97 at 2.05 P.M.

He was released at 2.30 P.M. from the same place, the same day on 30.6.97."

P.N. GUPTA  
SECRETARY